(88)

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 16/01/2012

संख्या :– 3/नीति–701/2011 का॰ 408 /भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

   (i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2012 कहलाएगी।

   (ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. (I) *परिभाषा :–* जब तक कि संदर्भ में अन्यथा वर्णित न हो, –

   (क) *"उपलब्ध रिक्तियाँ"* से झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ अभिप्रेत है, जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है;

   (ख) *"परीक्षा"* से झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा आशुलिपिक ग्रेड पर सीधी भर्त्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

   (ग) *"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति"* के वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड 24 और खण्ड 25 में समनुदेशित है।

   (घ) *"पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1"* से झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1 के रूप में अधिसूचित जातियां अभिप्रेत है।

   (ङ॰) *"निःशक्त व्यक्ति"* से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

   (च) *"आयोग"* से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है।

   (II) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु झारखंड सचिवालय सेवा निमयावली, 2010/झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010/झारखंड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011 में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा का आयोजन –

(1) आयोग सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त गठित परीक्षा नियमावली के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर परीक्षा के आयोजन के विषय पर संशोधन कर सकेगी।

4. **पात्रता की शर्त्तें** :– परीक्षा में सक्षमता की पात्रता के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त्तों का समाधान करना चाहिए, अर्थात् :–

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) आयु – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना अधियाचना के वर्ष की पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानकर की जायेगी।

(iii) शैक्षणिक योग्यता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री रखता हो।

(iv) शुल्क – परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क आयोग के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क में 50% छूट/रियायत दी जायेगी।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** – पात्रता या अर्हत्ता परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश–पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6. **अभ्यर्थियों का विकल्प** – परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह अधिकार होगा कि वे आयोग द्वारा मांगें जाने पर विहित प्रपत्र में सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु अपना विकल्प दें अर्थात् कोई भी अभ्यर्थी तीनों सेवाओं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए विकल्प देने हेतु सक्षम होंगे। आशुलिपिक ग्रेड एवं निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को नियम-10 एवं 11 में विहित परीक्षा के अतिरिक्त क्रमशः नियम 14 (i) एवं ii) एवं नियम 14 (ii) में विहित आशुलेखण/टंकण जांच परीक्षा एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7. परिणाम –

(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाता है, उन्हें मेधा (Merit) के क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 16 के उपबंधों के अध्यधीन उनकी उतनी नियुक्तियों के लिए अनुशंसा की जायेगी, जितनी की जानी अपेक्षित हों।

(2) अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का रूप और रीति का निर्णय आयोग के अपने विवेक पर होगा।

8. **परीक्षा का स्वरूप** – परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारंभिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

9. प्रारंभिक परीक्षा –

(i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारंभिक) का प्रश्न पत्र होगा । परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य अध्ययन–प्रश्नों की संख्या – 30 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित–प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच–प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(घ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी ।

(iii) प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा ।

(iv) **प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा :–**

खंड (क) :– सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है ।

(i) सम–सामयिक विषय:– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।

(ii) भारत देश :– भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान ।

खंड – (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :– निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :–

(i) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ii) गणित :– इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

खंडः– (ग) **मानसिक क्षमता जाँच :–**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कुट लेखन एवं कूट व्याख्या।

खंड :– (घ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान :–

Basic knowledge of Computer इसमें कम्प्यूटर में उपलब्ध उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

10. मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग – एनेक्सचर – 2 के लिए 36.5 (साढे छत्तीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – एनेक्सचर – 1 के लिए 34 (चौतीस) प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. **मुख्य परीक्षा– मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे :–**

(क) **प्रश्न पत्र 1–विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे ।

(ii) इस विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नही करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्न पत्र–2) का मूल्यांकन नही किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नही समझे जायेंगे। प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के परियोजनार्थ की जायेगी।

(iii) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी।

(iv) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी।

(v) प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(ख) **प्रश्न पत्र 2 – विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–**

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान (मुख्य) में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ख) अंकगणित – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच – प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(घ) कम्प्यूटर का मूल ज्ञान (Basic knowledge of computer) – प्रश्नों की संख्या – 30 होगी।

Gdilus

(iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा ।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी ।

(v) कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी।

(vi) परीक्षा की अवधि 2 घन्टे की होगी ।

12. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखंड लोक सेवा आयोग/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. **मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–**

प्रश्न पत्र –1 : विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान (मुख्य) :–

इस विषय के निम्नलिखित पाठयक्रम होंगे :–

(क)	हिन्दी अनुच्छेद आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ख)	हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ग)	अंग्रेजी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(घ)	अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	–	30 प्रश्न

प्रश्न पत्र – 2 : विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–

खंड (क) :– सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान

(i) **सामान्य अध्ययन:–** सामान्य अध्ययन – इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है।

(ii) **सम सामयिक विषय :–** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनायें ।

(iii) **भारत देश :–** भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखंड का योगदान ।

(iv) **सामान्य विज्ञान :–** सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्त्र में दिनप्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

खंड (ख) :–

(i) गणित :– (मुख्य परीक्षा) इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

खंड (ग) :– मानसिक क्षमता जाँच :– इसमें शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :–

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला, गैर–शाब्दिक श्रृखंला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

खंड (घ) :– इसमे कम्प्यूटर के मूल ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते है।

14. **आशुलेखन जांच** – आशुलिपिक ग्रेड में भर्त्ती हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप से आयोजित की जायेगी :–

अर्हत्ता की जांच :–

(i) आशुलेखन जांच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक श्रुतिलेख दिया जायेगा। इसके पूर्व एक मिनट का समय डिक्टेशन जांच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ii) उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

15. मेधासूची –

(i) सहायक ग्रेड/निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड की मेधा सूची अभ्यथियों के विकल्प एवं आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा (Merit) के आलोक में संबंधित ग्रेड में अलग–अलग तैयार की जायेगी।

(ii) प्रारंम्भिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्तियों के 5 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराने के उदेश्य से किया जायेगा और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही सामान्य मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा ।

(iii) मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जाँच कराई जाएगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा अंतिम अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जाएगी।

16. नियुक्ति –

(1) परीक्षा में सफलता सेवा में सहायक ग्रेड / निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड / आशुलिपिक ग्रेड की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी, जबतक झारखंड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(2) किसी अभ्यर्थी को सेवा के सहायक ग्रेड / निम्न वर्गीय लिपिक ग्रेड / आशुलिपिक ग्रेड में तबतक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जबतक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे झारखंड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो।

(3) सेवा में नियुक्तियाँ, समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – अनुसूची – 1, निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं एवं खिलाड़ियों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. इस विनियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

18. जहां राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इस नियमावली के किसी उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

Aditya 16/1/2012

(आदित्य स्वरूप)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 3 / नीति–701 / 2011 का॰ 400 / राँची, दिनांक 16 / 01 / 2012

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को तुरंत भेजें।

Aditya 16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 3 / नीति–701 / 2011 का॰ 400 / राँची, दिनांक 16 / 01 / 2012

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, रांची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची / सचिव, झारखंड विधान सभा / राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

Aditya 16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।